पिटीशन साइन करें या शुरू करें

पिटीशन एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है जिस पर ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी (ACT) में रहने वाले लोग साइन करते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली से कोई खास कार्यवाही करने के लिए कहते हैं।

आपका वीज़ा स्टेटस या नागरिकता चाहे जो भी हो, अगर आप ACT में रहते/ती हैं, तो आप असेंबली में पिटीशन साइन कर सकते/ती हैं या शुरू कर सकते/ती हैं। पिटीशन शुरू करने या साइन करने पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, भले ही वह सरकारी पॉलिसी या फैसलों से अलग हो।

पिटीशन पर साइन करना

लेजिस्लेटिव असेंबली की वेबसाइट पर उन सभी इलेक्ट्रॉनिक याचिका (ई-पिटीशन) की लिस्ट है जो अभी साइन के लिए खुली हैं। सभी खुली ई-पिटीशन की लिस्ट देखने के लिए epetitions.parliament.act.gov.au/search/current पर जाएं।

किसी भी याचिका के टाइटल पर क्लिक करके पढ़ें कि इसे क्यों बनाया गया और इसमें क्या कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था।

ई-पिटीशन पर साइन करने के लिए:

- याचिका वेबपेज के नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।
- पुष्टि करें कि आप ACT में रहते/ती हैं, आपने पहले से इस याचिका पर साइन नहीं किया है, और अपनी सही पर्सनल डिटेल्स देंगे/गी।
- अपने व्यक्तिगत विवरण भरें, जिसमें टाइटल (मिस्टर या मिसेज), पहला और आखिरी नाम, आपके घर का पता, ईमेल और फ़ोन नंबर शामिल हैं।

> 'पता' बॉक्स में स्ट्रीट एड्रेस तब तक टाइप करें जब तक लिस्ट में आपका सही एड्रेस न आ जाए, फिर उस पर क्लिक करें। आपका सबअर्ब, स्टेट और पोस्टकोड अपने आप भर जाएगा।

- आपकी डिटेल्स सही हैं, यह कन्फर्म करने वाले पहले बॉक्स पर टिक करें, फिर ई-पिटीशन पर साइन करने के लिए बटन पर क्लिक करें। अगर आप चाहते/ती हैं कि सरकार के पिटीशन पर जवाब देने पर आपको ईमेल मिले, तो आप एक ऑप्शनल बॉक्स पर भी टिक कर सकते/ती हैं।

नई पिटीशन शुरू करना

अगर आप चाहते/ती हैं कि असेंबली किसी लोकल मुद्दे (जैसे: पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सड़कें, स्कूल, हाउसिंग, हेल्थकेयर) पर एक्शन ले, तो आप ई-पिटीशन शुरू कर सकते/ती हैं।

1. एक स्पॉन्सर ढूंढें

हर पिटीशन को लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर (MLA) द्वारा स्पॉन्सर किया जाना चाहिए। अपना ई-पिटीशन फ़ॉर्म शुरू करने से पहले, आप किसी MLA से संपर्क करके पूछ सकते/ती हैं कि क्या वे आपकी पिटीशन को स्पॉन्सर करेंगे। आप किसी भी MLA से संपर्क कर सकते/ती हैं। उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स parliament.act.gov.au/members/current पर दी गई हैं।

2. ई-पिटीशन फ़ॉर्म भरें

नई ई-पिटीशन शुरू करने के लिए epetitions.parliament.act.gov.au/lodge पर जाएं।

- अपना नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरें। आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स कभी पब्लिश नहीं की जाएंगी, और आपका नाम वेबसाइट पर तभी दिखेगा जब आप इसे दिखाना चाहेंगे/गी।
- टॉपिक को समराइज़ करते हुए एक छोटा सब्जेक्ट जोड़ें, प्रॉब्लम बताएं, और साफ़-साफ़ लिखें कि आप असेंबली से क्या करवाना चाहते/ती हैं। टेक्स्ट इंग्लिश में होना चाहिए और उसमें सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए।
- ड्रॉप-डाउन मेनू से अपने स्पॉन्सर MLA को चुनें, एक क्लोजिंग डेट (आगे 7 दिन से 6 महीने के बीच) चुनें, और कन्फर्म करें कि आप ACT में रहते/ती हैं।
- फॉर्म सबमिट करें।

आपकी ई-पिटीशन तुरंत पब्लिश नहीं होगी। इसके बजाय, असेंबली का एक टेक्निकल ऑफिसर आपकी पिटीशन को चेक करेगा ताकि यह पक्का हो सके कि यह असेंबली के नियमों के हिसाब से है। अगर ज़रूरत हो तो वे किसी भी फ्रेज़िंग को ठीक करने में आपकी मदद कर सकते हैं। अप्रूव होने के बाद, आपकी ई-पिटीशन लाइव हो जाएगी।

3. सिग्नेचर इकट्ठा करें

ऑनलाइन पब्लिश होने के बाद, आप अपनी चुनी हुई आखिरी तारीख तक सिग्नेचर इकट्ठा करने के लिए वेबसाइट लिंक को ईमेल, सोशल मीडिया या पेपर फ़्लायर्स पर शेयर कर सकते/ती हैं।

पेपर पिटीशन के बारे में क्या?

आप लोगों से खुद जाकर साइन करवाने के लिए एक पेपर पिटीशन भी शुरू कर सकते/ती हैं। लेकिन, हम इसके बजाय ई-पिटीशन इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। ऑनलाइन सिस्टम अपने आप चेक करता है कि नियम पूरे हुए हैं या नहीं, जिससे आपकी पिटीशन छूटी हुई डिटेल्स या फ़ॉर्मेटिंग की गलतियों की वजह से रिजेक्ट होने से बच जाती है।

पिटीशन बंद होने के बाद क्या होता है?

पूरी की गई ई-पिटीशन असेंबली चैंबर में पेश की जाती हैं। टॉपिक और कुल सिग्नेचर की संख्या ज़ोर से पढ़ी जाएगी।

आपकी पिटीशन के टॉपिक एरिया के लिए ज़िम्मेदार ACT सरकार के मिनिस्टर को तीन महीने के अंदर एक फ़ॉर्मल जवाब लिखना होगा। जवाब ई-पिटीशन वेबसाइट पर पब्लिश किया जाता है।

अगर आपकी पिटीशन पर 500 या उससे ज़्यादा साइन हैं, तो इसे एक्स्ट्रा रिव्यू के लिए असेंबली कमेटी को भेजा जाता है। वे पिटीशन की रिक्वेस्ट पर जांच करने का ऑप्शन चुन सकते हैं।

जो जानकारी मैं शेयर करता/ती हूँ उसका क्या होता है?

ई-पिटीशन और पेपर पिटीशन पर साइन करने वाले लोगों के नाम, घर के पते और ईमेल कभी भी पब्लिक नहीं किए जाते हैं। पिटीशन पेश करने से पहले सिग्नेचर को वेरिफाई करने के लिए निष्पक्ष इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट्री स्टाफ़ (जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नहीं हैं) के पास ही इन डिटेल्स का एक्सेस होता है।

जब असेंबली में कोई पिटीशन पेश की जाती है, तो सिर्फ़ पिटीशन रिक्वेस्ट और कुल सिग्नेचर पढ़े जाते हैं। हालांकि हर सिग्नेचर करने वाले की पूरी डिटेल्स ऑफिशियल पब्लिक रिकॉर्ड में सेव की जाती हैं, लेकिन इन्हें कभी पब्लिश नहीं किया जाता और कोई भी इन्हें देखने की रिक्वेस्ट नहीं कर सकता।

आप ऑनलाइन ई-पिटीशन सेट अप करते समय इसके क्रिएटर के तौर पर अपना नाम छिपाए रखना चुन सकते हैं।